

न्यायालय - मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

पीठासीन - मोहम्मद याकूब

मामला संख्या : फौजदारी वाद / 266 / 2026 सीएनआर संख्या : UKAL020003882026

उत्तराखण्ड सरकार बनाम रोहन कुमार आर्या व अन्य

सुनीता भट्ट जोशी अधिवक्ता /

आज की तारीख	रोजनामा
04-06-2026	पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियोजन की ओर से विद्वान अभियोजन सहायक अधिकारी शिखा श्रीवास्तव न्यायालय उपस्थित। अभियुक्तगण रोहन कुमार आर्या, नन्दन लाल, नवीन बिष्ट, जगदीश बिष्ट, विरेन्द्र चन्द्र आर्या, सावन बाल्मिकी व दिनेश चन्द्र तथा राहुल आर्या मय विद्वान अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह मेहता, श्री दीपेन्द्र परिहार उपस्थित। अभियुक्तगण रोहन कुमार आर्या, नन्दन लाल, नवीन बिष्ट, जगदीश बिष्ट, विरेन्द्र चन्द्र आर्या, सावन बाल्मिकी व दिनेश चन्द्र तथा राहुल आर्या के द्वारा आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र 21ख मय अभियुक्तगण विवरण 24ख के साथ पेश। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा 22ख पेश। अभियुक्तगण को न्यायिक हिरासत में लिया गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र 23ख पेश। जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियोजन आख्या तलब कर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। जमानत आदेश पृथक से कागज संख्या 25ख पर अभिलिखित है। अभियुक्तगण रोहन कुमार आर्या, नन्दन लाल, नवीन बिष्ट, जगदीश बिष्ट, विरेन्द्र चन्द्र आर्या, सावन बाल्मिकी व दिनेश चन्द्र तथा राहुल आर्या द्वारा अपना-अपना सक्षम जामनती प्रस्तुत किया गया। जिन्हें न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। अभियुक्तगण रोहन कुमार आर्या, नन्दन लाल, नवीन बिष्ट, जगदीश बिष्ट, विरेन्द्र चन्द्र आर्या, सावन बाल्मिकी व दिनेश चन्द्र तथा राहुल आर्या को मामले में नकलें अर्न्तगत 230 बी0एन0एस0एस0 प्रदान की गयी। पत्रावली वास्ते आरोप विरचन दिनांक 24.06.2026 को प्रस्तुत हो। मामला आरोप के लिए स्थगित अगली तिथि : 24-06-2026 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट